**राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग**

**क्रमांक प.18 (25) नविवि / सामान्य / 2014**  
**जयपुर, दिनांक: 21 JUN 2017**

**प्रेषक**: सचिव, जयपुर  
**प्रति**:

* सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण
* राजस्थान आवासन मण्डल
* निदेशक, नगर विकास न्यास
* स्थानीय निकाय विभाग, समस्त

**विषय: राजस्थान भवन विनियम-2013 / प्रचलित भवन विनियमों हेतु निर्देशों बाबत**

CREDAI एवं TODAR के पत्र दिनांक 29.05.2017, अनुकम्पा होम्स प्रा. लि. से प्राप्त पत्र दिनांक 02.06.2017 एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास के विभाग की अध्यक्षता में 02.06.2017 को आयोजित बैठक में प्राप्त सुझावों पर निर्णय के अनुसार निम्न निर्देश दिए जाते हैं:

1. **मुख्यमंत्री जन आवास योजना** में 2.25 एफ.ए.आर. तक बैटरमेंट लेवी देय नहीं होगी। साथ ही, फायर सैस एवं मानचित्र अनुमोदन शुल्क पर पूर्ण छूट रहेगी।
2. **अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009** के अंतर्गत टी.डी.आर. का उपयोग करने की स्थिति में बैटरमेंट लेवी जमा कराना आवश्यक नहीं है।
3. **ग्रुप हाउसिंग / फ्लैटेड डेवलपमेंट** में सामने की बाउंड्री वॉल भूखण्ड रेखा पर ही बनाई जाए, न कि 6 मीटर अंदर। इससे अवैध गतिविधियों से बचा जा सकेगा।

**अतिरिक्त निर्देश (बिना क्रमांक वाले परिशिष्ट से)**

1. **लेबर सैस**: भवन मानचित्र अनुमोदन के समय लिया जा रहा लेबर सैस विकासकर्ता द्वारा श्रम विभाग में स्वयं के स्तर पर जमा कराया जाए। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करते समय इसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।
2. **अस्थाई अग्निशमन प्रमाण पत्र**: इसके स्थान पर निर्माता से शपथ पत्र लिया जाए कि अग्निशमन मानकों की अनुपालना सुनिश्चित की गई है। पूर्णता प्रमाण पत्र के समय अग्निशमन प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा।
3. **बैटरमेंट लेवी**: भवन निर्माण उद्योग में मंदी को देखते हुए बैटरमेंट लेवी अधिकतम चार छमाही किस्तों में वसूली जाए।
4. **Colour Coded Zoning Map (CCZM)**: भारतीय विमान पतन प्राधिकरण की वेबसाइट पर दर्शाई गई उंचाई तक अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। भवन विनियम संख्या 14.2 (छ) में यह संशोधन किया जाए।

**प्रेषक**:  
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
संयुक्त शासन सचिव - प्रथम

**प्रतिलिपि**:

* निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
* समस्त क्षेत्रीय अधिकारी